10 कम

न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश।

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी A-4276-PBR-16

(33)

हरिशंकर पुत्र रामगोपाल - निगरानीकर्ता
निवासी कोल्पीपुरा मुरार, ग्वालियर।

बनाम

1- मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर तहसीलदार वृत मुरार टप्पा तहसील मुरार, ग्वालियर।

2- मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत मुरार टप्पा तहसील मुरार, ग्वालियर

--- -- रिस्पोन्डेन्ट्स

श्री के. के. चतुर्वेदी, अधि. द्वारा आज दि. 19-12-16 प्रस्तुत
19-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
796
19-12-16
19/12/2016

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 44 (2) म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 के प्रकरण क्रमांक 7/14-15/अ-68 व उन्वान शासन बनाम हरिशंकर किरार में दिये गये आदेश दिनांक 3-12-2016 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय न्यायालय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, रिस्पोन्डेन्ट क्रमांक 2 द्वारा विचारण न्यायालय क्रमांक-1 के समक्ष मध्यप्रदेश भू राजस्व संहित की धारा अ-68 प्रकरण क्रमांक 7/14-15/अ-68 इस आशय का शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि भूमि सर्वे क्रमांक 3197/1 रकवा 0.324 हेक्टेयर भूमि भूमिस्वामी गिरधर गोपाल चन्द वैश्य के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा भूमि सर्वे क्रमांक 3197/2 रकवा 0.073 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 3197/3 रकवा 0.031 हेक्टेयर शासकीय खाल खादर भूमि है।

2- यहकि, रिस्पोन्डेन्ट क्रमांक 2 द्वारा शिकायत के आधार पर भूमि सर्वे क्रमांक 3198 के भाग पर बने भवन क्षेत्रफल 300 वर्गफुट यानि 27.88 वर्गमीटर पर निगरानीकर्ता द्वारा अवैध रूप से भूमि सर्वे क्रमांक 3197 के भाग पर भवन निर्माण किया है जबकि

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4276-पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। रीडर अध्यक्ष	30-5-2019.